

17/35 पत्रावली पैसा डंडी वकील प्रार्थी उपरिष्ठा।
 विपरीत संख्या - 1 व 4 को और से भी गजेडुण्डि
 झाला एवं अनील शौवावा द्वारा बवालसामा मूल
 वाद में पेशा किया गया। विपरीत संख्या 1 व 4
 को लख से जवाब एवं अण्डर टैकिंग प्रस्तुत उक्त
 जिरतकी वलय दिखाई गई। विपरीत सं. 2 व 3 की
 अंश से जवाब पेश नहीं हुआ है। पत्रावली वस्तु
 अग्रिम कामनाही में दिनांक 29/12/25 को पेश हो।
 उक्त जिरतकी पर वकील प्रार्थीगण व वकील
 वकील निपथीगण बहस हेतु सहमत वेनेसे
 वकील उमय पक्ष की बहस को सुनाया
 वकील उमय पक्ष एक बिरला के अनुसार विमान
 हेतु सहमत है। तथा वाद उकरण को प्राथमिक डिमी
 किया जावे। तथा विपरीत के अधिवक्ता ने अस्वामी
 विधि धात्रा के स्वयं अदिसा खारीज क्रिये जाते हेतु
 बहस में कवाय किया गया है। पत्रावली वस्तु
 उचित आदेश में दिनांक 29/12/25 को पेश हो।
 17/07/25

29/7/35 पत्रावली पैसा डंडी वकील उमय पक्ष उपरिष्ठा। जवाब हेतु
 अंतरा भाषा जो किया गया पत्रावली वस्तु जवाब
 बहस प्राथमिक पत्र में दिनांक 29/12/25 को पेश हो। इस
 जिरतकी पर विपरीत पत्रावली का अवलोकन किया गया
 पत्रावली में जवाब व अण्डर टैकिंग पेश हो रही है।
 पत्रावली में बहस की सुनी जा चुकी है। पत्रावली
 वस्तु अदिसा में दिनांक 31/12/25 को पेश हो।
 29/07/25

3 पत्रावली पैसा डंडी वकील उमय पक्ष उपरिष्ठा।
 पत्रावली में वकील उमय पक्ष ने प्राथमिक डिमी
 अदिसा को पालना देने एक प्राथमिक पत्र में वस्तु
 वाद प्रस्तुत आरजी नंबर 1573 रकबा 0.1390 हेक्टेयर
 की प्रार्थना हेतु सहमत वेने से पत्रावली वस्तु
 अदिसा में दिनांक 29/12/25 को पेश हो।
 उपरिष्ठा अधिकारी

FORM No. III
 फॉर्म अहकाम
 (निर्णय 26)

जिला-चिचौड़गढ़
 जिला-चिचौड़गढ़

सं. 32/2025
 म. 2025

पत्रावली पैसा डंडी वकील उमय पक्ष उपरिष्ठा।
 वकील उमय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का
 अवलोकन किया गया। पत्रावली में वस्तु वाद प्रस्तुत
 आरजी नंबर 1573 रकबा 0.1390 हेक्टेयर
 अंग के स्वयं अदिसा में मूल वाद प्रकरण में विमान
 प्रस्ताव प्राप्त वेकर फाइनल डिमी क्रिया जाते
 का अदिसा हो चुका है। ऐसी स्थिति में मूल
 वाद के अण्डर टैकिंग हेतु प्राथमिक पत्र अदिसा में पेश
 29/12/25 को अदिसा पूर्व अदिसा सभा वकील को जाते है।
 इस अदिसा प्राथमिक पत्र को सब पलाया जाना
 उचित है। मूल वाद का निरचरण हो जाते है
 प्राथमिक पत्र में कामनाही को ड्राप की जाती है।
 पत्रावली में विपरीत दिखाया जाकर सुनाया
 गया। पत्रावली केवल सुमार वेकर नंबर
 से काम हो।
 07/08/25
 उपरिष्ठा अधिकारी
 जिला-चिचौड़गढ़

